छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2012 सत्र

दैनिक कार्यसूची

मंगलवार, दिनांक 17 जुलाई, 2012 (आषाढ 26, 1934)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2011-2012 के बजट की अंतिम तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखेंगे.

(2) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, वित्तीय वर्ष 2011-2012 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न विभागों का निष्पादन बजट (परफार्मेंस बजट) पटल पर रखेंगे.

(3) श्री हेमचंद यादव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) के पद (एफ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य, प्रदेश में ए.पी.एल. राशनकार्ड धारियों को अधिक दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. हरिदास भारद्वाज, डॉ. प्रेमसांय सिंह टेकाम, सदस्य, प्रदेश में कृषि अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बंद करने से किसानों की सामयिक समस्या का निराकरण न होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री ब्रम्हानंद, सदस्य, जिला कांकेर के विकासखण्ड नरहरपुर अंतर्गत ग्राम कुम्हानखार में एनीकट/स्टापडेम निर्माण करने,

(2) श्री गुरु रूद्रकुमार, सदस्य, आरंग विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम भैंसा, कोरासी, चोरभट्ठी, सकरी, तुलसी, समोदा पहुंच निर्माण को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग में पुल-पुलिया निर्माण करने,

(ii) ग्राम परसदा से तुलसी पहुंच मार्ग का मरम्मत एवं डामरीकरण करने,

(iii) ग्राम रींवा एवं ग्राम सिवनी के मध्य कोल्हान नाले पर एनीकट स्टापडेम निर्माण करने,

(3) श्रीमती लक्ष्मी बघेल, सदस्य, बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम जोता से भुरसुदा तक पुल-पुलिया सहित डामरीकरण करने,

(ii) ग्राम खपरीकला में हाईस्कूल भवन निर्माण करने,

क्रमश: 2

(4) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य, विकासखण्ड धरसींवा अंतर्गत -
(i) धरसींवा में हाईस्कूल खोलने,
(ii) ग्राम बहेसर में पूर्व माध्यमिक शाला खोलने,

(5) श्री भोलाराम साहू, सदस्य, खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम साल्हे में नलजल योजना स्वीकृत कर पेयजल आपूर्ति करने,

(6) डॉ. शिव कुमार डहरिया, सदस्य, बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत टुण्डरा में कन्या हाईस्कूल प्रारंभ करने,

(7) श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर, सदस्य, सक्ती विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -
(i) ग्राम सरहर में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने,
(ii) ग्राम महुदा (चाम्पा) में पूर्व माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन करने,

(8) श्री दूजराम बौद्ध, सदस्य, विकासखण्ड पामगढ़ अंतर्गत -
(i) ग्राम कटौद में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने तथा
(ii) ग्राम बोरसी में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री ननकीराम कंवर, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 12 सन् 2012) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

1 घंटा (2) श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 8 सन् 2012) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

1 घंटा (3) श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 9 सन् 2012) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

30 मिनट (4) श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 10 सन् 2012) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

6. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घंटा 30 मिनट

प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का लाभ किसानों को न मिलना, प्रमाणिक बीज एवं खाद की कमी तथा अघोषित विद्युत कटौती से कृषि कार्य प्रभावित होने के संबंध में सर्वश्री परेश बागबाहरा, रविन्द्र चौबे, धर्मजीत सिंह, डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

रायपुर
दिनांक 16 जुलाई, 2012

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.